(b) if so, the names of the States where the Aluminium Plants are proposed to be set up during the above period;

(c) whether any such Aluminium Plant is proposed to be set up in Orissa during that period ; and

(d) if so, the names of Places indentified for the location of those Aluminium plants in that State?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF MINES (SHRI BALRAM SINGH YADAV) : (a) No, Sir. Government are however considering a proposal of the National Aluminium Company (NALCO) for expansion of their existing mines, refinery and smelter.

(b) to (d) The proposal for expansion is in Damanjodi and Angul regions of Orissa.

Royalty on Minerals

661. SHRIMATI KAMLA SINHA : Will the Minister of MINES be pleased to state what are the criteria for fixing the royalties on coal and other mining products?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF MINES (SHRI BALRAM SINGH YADAV) : While revising the rates of royalty on major minerals including coal, factors like pit's mouth value (PMV) of minerals, suggestions of State Governments to compensate against loss of revenue on account of non-levying of cess and mineral rights tax etc., suggestions of mining industry, impact of additional royalty on downstream industry, conditions in domestic and export markets and nature of and use of different minerals have been taken into consideration by the Government.

हिंदुस्तान कापर लिमिटेड को वित्तीय शक्तियां

662. **श्री अजीत जोगी :**
कुमारी सुशीला तिरिया :

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हिंदुस्तान कापर लिमिटेड को अधिक वित्तीय शक्तियां देने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह उद्यम अपनी क्षमता का विस्तार करने की स्थिति में है; और

(घ) यदि हां, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस उद्यम के विस्तार तथा आधुनिकीकरण की योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख) सरकार के साथ समझौता ज्ञापन करने वाले और 200 करोड़ रुपये से अधिक की सकल परिसम्पत्ति वाले सरकारी प्रतिष्ठानों के निदेशक मंडलों को सरकार ने अतिरिक्त शक्तियां प्रत्यायोजित की हैं, बशर्ते कि वह धनराशि कम्पनी के आन्तरिक स्रोतों से जुटाई जा सके और वह व्यय सरकार द्वारा अनुमोदित पूंजी बजट में शामिल किसी मद पर किया जाए अथवा उक्त परिव्यय का वार्षिक योजना में प्रावधान किया गया हो । हिंदुस्तान कापर लिमिटेड, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने तथा इन अपेक्षाओं को पूरा करने पर अब परिवर्द्धनों, परिवर्त्तनों एवं नए निवेशों पर मौजूदा 20 करोड़ रुपये की बजाय 50 करोड़ रुपये तथा परिसम्पत्तियों के प्रतिस्थापन और नवीकरण पर मौजूदा 50 करोड़ रुपये की बजाय 100 करोड़ रुपये तक व्यय करने हेतु अतिरिक्त वित्तीय शक्तियों का उपयोग करने का हकदार हो गया है ।

(ग) और (घ) जी हां । हिंदुस्तान कापर लिमिटेड ने अपनी क्षमता विस्तार की अनेक योजनाओं का निर्धारण कर लिया है । धन उपलब्ध होने पर, 8वीं योजना के दौरान हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित विस्तार और आधुनिकीकरण की महत्वपूर्ण योजनाएं इस प्रकार हैं :—

I. पश्चिमी सेक्टर (राजस्थान)

1. खेतड़ी प्रगालक और रिफाइनरी का विस्तार 31,000 टन से बढ़ाकर 45,000 टन वार्षिक करना ।

II. कोलिहान खान की वार्षिक अयस्क उत्पादन क्षमता को 0.6 मिलियन टन से बढ़ाकर 0.75 मिलियन टन करना।

III. 0.6 मिलियन टन वार्षिक अयस्क क्षमता की बनवास खान का विकास।

4. खेतड़ी सान्द्रक का आधुनिकीकरण।

II. केन्द्रीय सेक्टर (मध्य प्रदेश)

1. मलंजखंड खान का 2 मिलियन टन वार्षिक से 3 मिलियन टन वार्षिक तक विस्तार।

III. पूर्वी सेक्टर (बिहार)

1. 0.75 मिलियन टन अयस्क और समान क्षमता के सान्द्रक [सहित चापरी-सिद्धेश्वर खान का विकास।

2. सिंहभम पट्टी में इंडियन कापर कम्पलेक्स की मौजूदा खानों का विस्तार और आधुनिकीकरण।

खनिजों पर रायल्टी में संशोधन

663. **श्री महेन्द्र सिंह लाठर:** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अनेक राज्य सरकारों ने विभिन्न खनिजों के लिय रायल्टी की दरों में संशोधन किये जाने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो 1 जनवरी, 1990 से खनिजों की बढ़ी हुई रायल्टी दरें क्या-क्या हैं और वर्ष 1989, 1990 तथा 1991 के दौरान सरकार द्वारा राज्य सरकार को इस मद में कितनी-कितनी धनराशि दी गई है; और

(ग) क्या यह सच है कि राज्य सरकारों द्वारा मांग किये जाने के बावजूद रायल्टी दरों में नाम मात्र की वृद्धि की गई है; और यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की नीति क्या है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव): (क) से (ग) विभिन्न खनिजों पर रायल्टी की दरों में राज्य सरकारों के अनेक सुझावों पर पर्याप्त विचार करने के बाद, 17-2-92 से संशोधन किया गया है।

खनिजों पर प्राप्त होने वाली रायल्टी की कुल आय राज्य सरकारों की होती है। इसमें केन्द्र सरकार का न तो कोई हिस्सा होता है और न उसे इस मद पर राज्य सरकारों को कोई राशि ही देनी होती है।

Mines and Minerals Regulation and Development Act, 1957

664. SHRI RAMDAS AGARWAL : Will the Minister of MINES be pleased to state:

(a) whether Government are aware that the present procedure followed for granting approval of mining leases at State/Central level for major/minor minerals under M.M.R.D. Act, 1957 and seeking clearance from Environment and Forests Ministry is causing considerable delay/loss of revenue to States concerned;

(b) what is the number of mining leases so far granted at the State/Central level for the last 3 years upto 15th February, 1992, in the country particularly in Rajasthan and Orissa ; and

(c) the number of cases still pending for renewal of mining leases/cases rejected and pending for want of Environment/Forest clearance during the last 2 years in Rajasthan and Orissa?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF MINES (SHRI BALRAM SINGH YADAV) : (a) to (c) The requisite information is being collected and will be laid on the table of the House.

इस्पात का उत्पादन

655. **कुमारी आलिधा :** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान देश में इस्पात का कुल कितना उत्पादन होने की संभावना है तथा उक्त वर्ष के